(वाद सं0.-2185/4/40/2021)

19.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, सहारा इंडिया में परिवादी, सुमित्रा देवी, के स्व0 पति, भरत कुमार, द्वारा निवेश की गयी राशि के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **क्षेत्रीय मैनेजर, सहारा इंडिया, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **क्षेत्रीय मैनेजर, सहारा इंडिया, पटना** की ओर से प्राप्त **मंडल कार्यालय, पटना, सहारा इंडिया** के प्रतिवेदनानुसार **" श्रीमति सुमित्रा देवी, पति–स्व0 भरत कुमार ग्राम–मुरादपुर हुजरा, पोस्ट बैदराबाद, अंचल + थाना अरवल जिला अरवल के खाता संख्या 26523701464 का भुगतान दिनांक 04.08.2021 को वाउचर संख्या 265221204858 के माध्यम से धनराशि 10000 + 12641 एवं अतिरिक्त व्याज 4937/–कुल 27,578/–का भुगतान कर दिया गया है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **मंडल कार्यालय, पटना, सहारा इंडिया** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **मंडल कार्यालय, पटना, सहारा इंडिया** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक